प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अड़सठ'

[15/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 5996]

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मं त्र

कमाक एफ–43/17/2012/यो/19 –5489
प्रति,

भोपाल दिनांक 14-9-12

प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषयः– लोक निर्माण विभाग की वित्तीय व्यय समिति की 37वीं बैठक।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा प्राक्कलन परीक्षण समिति तथा वित्तीय व्यय समिति की 37वी बैठक जो दिनांक 30.08.2012 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अन्तर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:–

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्यो का नाम	लंबाई (किमी0 में)	लागत (रू0 लाख में
1	शाजापुर	24/5054	अरन्याकलां से कालापीपल मार्ग	16.46	1498.23
2	शाजापुर	24/5054	अकोदिया से सुंदरसी मार्ग	26.52	2148.36
3	रतलाम	64/5054	बाजना से बांसवाड़ा मार्ग (राजस्थान सीमा तक)	13.20	1337.59
4	देवास	64/5054	सोनकच्छ हाईवे से कमलापुर एन. एच. 49 ए तक मार्ग	16.70	1222.68

2/ उक्त कार्य हेतु वर्ष 2012–13 के मुख्य बजट में मॉग संख्या 24/5054 64/5054 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। उक्त कार्यो हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते है।शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकतायें पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावें तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्यो की सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदायें बुलाई जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसांइट पर डाला जाय।

सहपत्रः–4 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
(आर0 के0 मेहरा)
अवर सचिव
म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

14-9-12

पृ0 कमाक एफ–43/17/2012/यो/19 भोपाल दिनांक
प्रतिलिपिः–

1. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन।
2. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन मण्डल– उज्जैन ।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग शाजापुर संभाग शाजापुर
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग रतलाम संभाग रतलाम।
5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग देवास संभाग देवास।
6. निज सचिव, मान.मंत्रीजी लोक निर्माण विभाग, को सूचनार्थ (केवल कमांक 6 के लिये)

तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु [illegible]षित।

सहपत्रः– शून्य

अपर सचिव
म0प्र0 शासन लो0नि0वि0

पृ.क्र. योजना/प्रशा.स्वीकृति/संचार/12/3735 भोपाल दिनांक 21.9.12
प्रतिलिपिलः–

1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र उज्जैन
2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल उज्जैन
3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर/रतलाम/देवास की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित
4 नाबार्ड शाखा
5 बजट शाखा

क्रमांक 6110/एफ/2012-13/शाजापुर/दिनांक 17-10-2012
प्रतिलिपिः- अनुविभागीय अधिकारी, लो.नि.वि. उप संभाग शाजापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

मुख्य अभियंता यो/द
कार्या/प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग भोपल

कार्यपालन यंत्री
[illegible] विभाग संभाग, शाजापुर

परिशिष्ट–2

...लय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

दूरभाष न. :– 0734–2524462, फेक्स न. 0734–2513591, ई–मेल cepwdujjain@mp.nic.in

38 कार्य / तक.स्वी. / सड़क / प्लान / 11–12 उज्जैन, दिनांक 17/7/12

पुनः पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति आदेश

प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल के पत्र पृ. क्रमांक 3019 / एस.ओ.आर / रोड / कामन / 2009 / 3138 भोपाल दिनांक 17.11.2011 के अनुसार एस.ओ.आर. (1.4.2009 से प्रभावशील) 13 वें संशोधन के अनुसार बिटूमिनस कार्य एवं अन्य कार्य की दरों में (17.11.2011) एवं पुल–पुलियाओं की दरों में (11.04.2012) संशोधनों के अनुसार प्राक्कलन की दरों में सुधार किये जाने के फलस्वरूप पूर्व में इस कार्यालय के आदेश पृ. क्रमांक 122 / कार्य / तकनीकी स्वीकृति / सड़क / प्लान / 11–12 / उज्जैन दिनांक 07.1.2012 द्वारा अरनिया कलां से कालापीपल मार्ग हेतु दी गई तकनिकी स्वीकृति रू. 1112.10 लाख को निरस्त करते हुये पुनः पुनरीक्षित तकनिकी स्वीकृति निम्नानुसार दी जाती है :–

अरनिया कलां से कालापीपल व्हाया अकोदी पहूंच मार्ग लम्बाई **16.460** कि.मी. के लिए रूपये **1329.33** लाख (अक्षरी रूपय तैरह सौ उनतीस दशमलव तीन तीन लाख मात्र) की निर्माण कार्य हेतु **पुनः पुनरीक्षित** तकनीकी स्वीकृति मार्ग पंजीयक क्रं.**38**–आर / मु.अ. / सड़क / योजना / 12–13 के द्वारा **प्लान (24–5054)** के अन्तर्गत प्रदान की जाती हैं।

इस कार्य का व्यय **प्लान (24–5054)** के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

1. प्राप्त प्रशासकीय स्वीकृति की राशि से किसी भी परिस्थिति मे अधिक व्यय नही किया जावे।
2. तकनीकी स्वीकृति प्राक्कलन मे सम्मिलित आयटमो के अतिरिक्त कोई भी अन्य आयटम सक्षम अधिकारी एवं इस कार्यालय की स्वीकृति के बिना नही किया जावे।
3. कार्य के संपादन मे एम.ओ.आर.टी.एच. के प्रावधानो का पूर्ण पालन किया जावे।
4. पुल / पुलियो का रूपांकन विस्तृत सर्वेक्षण एवं हाइड्रोलिक डिटेल्स के आधार पर तैयार कर प्रस्तुत की जावे जिस पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जावे।

मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र उज्जैन

पृ. क्रमांक 2272 / कार्य / तक.स्वी. / सड़क / प्लान / 11–12 उज्जैन, दिनांक 17-7-12

प्रतिलिपी :–

1. अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग, उज्जैन मण्डल उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
2. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग शाजापुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. बजट / सामान्य शाखा कार्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग परिक्षैत्र उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

17/7/12
मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र उज्जैन

पृ. क्र. 4326 / तक / 12-13 / शाजापुर दिनांक 24-07-2012
प्रतिलिपि :– अनुविभागीय अधिकारी लो. नि. वि. उप संभाग शुजालपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है।

E:\Tech\OTHER FILE\TS. FORMAT.doc

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग संभाग, शाजापुर